(ए0 एफ0आर0)

(सुरक्षित)

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **22400** वर्ष **2021**

जावेद ———————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश —————— विपक्षी

<u>माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति</u>

यह दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र, आवेदक जावेद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 59 वर्ष 2021, अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना नखासा, जिला सम्भल में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इमरान खाँन, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल व विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा खिलेन्द्र सिंह द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 9—2—2021 की रात्रि में वह अपने घर के अन्दर परिवार के साथ सो रहा था कि रात्रि में किन्ही अज्ञात चोरों द्वारा उसकी गाय उम्र करीब पांच वर्ष रंग काला व सफेद, सींग 6—6 अंगुल लम्बें थे, चोर चोरी करके ले गये। सुबह जागने के बाद जानकारी हुई तभी से वह परिजनों के साथ गाय की तलाश कर रहा है लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। उक्त गाय कटी हालत में दो अन्य कटी हुई गायों के साथ जंगल में पायी गयी जहाँ अभियुक्तगण छोटे, जावेद, शुऐब तथा अन्य अभियुक्तगण अरकान व रेहान तथा दो तीन अन्य व्यक्ति गाय को काटकर मांस इकट्ठा करते हुए टीकम सिंह आदि द्वारा देखे गये तथा उन्हें पहचाना गया। प्रस्तुत प्रकरण के

वादी मुकदमा खिलेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा उसके द्वारा अपनी गाय की उसके कटे हुए सिर से पहचान की गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष हैं उसे इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। आवेदक पर लगाये गये आरोप झूंठे है उससे गाय का कटा, मरा या जिन्दा मांस बरामद नही हुआ है। आवेदक घटनास्थल पर नहीं था और न ही वह भागा है। आवेदक के विरूद्व पुलिस से मिलकर झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक दिनांक 8–3–2021 से जेल में निरूद्व है। ऐसी दशा में आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरूद्व लगाये गये आरोप बिल्कुल सही है। साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्त को टार्च की रोशनी में देखा एवं पहचाना गया है और वह अपने अन्य पांच नामजद एवं 2–3 अज्ञात चोरों द्वारा वादी की गाय चोरी करके ले गये और सुबह जब चार बजे वादी गायों को चारा डालने गया तो पता चला कि गाय रात्रि में चोरी हो गयी। शोर शराबा करने पर गांव के मुनौव्वर के खेत में जलती रोशनी दिखी तो वहाँ अभियुक्त जावेद सह–अभियुक्त शुऐब, रेहान, अरकान व 2–3 अज्ञात जो गाय को काटकर मांस इकट्ठा कर रहे थे को टार्च की रोशनी में पहचाना गया। मौके पर ये लोग अपनी मोटर साइकिल सी0 डी0 डीलक्स नं0– यू0 पी0 21 ए0 बी0 5014 को छोडकर भाग गये। टार्च की रोशनी में देखा तो वादी की दो गायों के सिर व एक अन्य गाय का सिर व मांस कटा हुआ पडा है। एक दूसरे गांव के खिलेन्द्र ने बताया कि एक अन्य गाय का सिर तो उसकी गाय का है जो आज रात को ही चोरी हो गयी थी। गाय के कटे हुए सिर और मांस को देखकर गांव में रोष व्याप्त है। पशु चिकित्सक द्वारा भी कटें मांस को गाय का मांस होना बताया गया है। विद्वान अपर शासकीय

अधिवक्ता द्वारा जोर देकर कहा गया कि गौवध पूर्णरूप से प्रतिबंधित है तथा गायों को काटा जाना अपराध है। आवेदक को गाय काटते हुए देखा एवं पहचाना गया है। ऐसी दशा में आवेदक जमानत पर मुक्त होने योग्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि गाय का भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा गाय को भारत देश में माँ के रूप में जाना जाता है और उसकी देवत्त के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर पेड, पौधे, जल, पहाड, वायु, पृथ्वी का पूजन किया जाता है। उनका वैज्ञानिक आधार है क्योंकि वे मनुष्य के जीवन में बडे लाभकारी हैं तथा उन्हें जीवन देते हैं और भारत के लोगों की यह बहुत बडी पहचान है कि वे उदार होते हैं और अपनी उदारता के कारण वे जिस जीव में मनुष्य का कल्याण देखतें है उसे अपना भगवान मान लेते हैं। ऐसा ही कल्याण वे गाय में देखते है जो बलिष्ठ स्वस्थ होने के लिए दूध देती है। खाद्य हेतु गोबर देती है, विशाणुनायक मूत्र देती है। वंश को बढाने हेतु बछडा और बैल उत्पन्न करती है जो बडा होने पर खेती और जोताई करता है।

भारतीय वेद शास्त्र, पुराण, रामायण और महाभारत जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान है और उन्हीं से भारत देश जाना जाता है, उसमें गाय की बडी महत्वा दर्शायी गयी है। इसी कारण से गाय हमारी संस्कृति का आधार है। वैदिक ज्योतिषशास्त्र में गाय को वैतरणी पार करने के लिए गाय दान की प्रथा का उल्लेख के साथ ही साथ श्राध्द कर्म में गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है क्योकि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुद्व, वृहस्पति, शुक्र, शानि, राहु, केतु के साथ साथ वरूण, वायु, आदि देवताओं को यज्ञ में दी गयी प्रत्येक आहूति गाय के घी से देने की परम्परा है जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है और यही विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती है और वर्षा से ही अन्न, पेड, पौधे आदि को जीवन मिलता है। हिन्दू विवाह जैसे मंगल कार्यो में गाय का बडा महत्व है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कहा है कि एक गाय अपने जीवनकाल में 410, 440 मुनष्यों हेतु एक समय का भोजन जुटाती है

और उसके मांस से केवल 80 लोग ही अपना पेट भरत है।

पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गौहत्या पर मृत्युदण्ड का कानून बनाया था। वैज्ञानिक यह मानते है कि एक ही पशु गाय ही है जो आक्सीजन ग्रहण करती है, आक्सीजन छोडती है । पंचगव्य जो कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा तैयार किया जाता है कई प्रकार के असाध्य रोगों में लाभकारी है। हिन्दू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। वेदों में भी गाय का उल्लेख है जो कि हजारो साल पुराने हैं। श्रृगवेद में गाय को अघन्या, यर्जुवेद में गौर अनुपमेय, अथर्वेद में गाय को सम्पत्तियों का घर कहा गया है। भगवान श्रीकृष्ण को सारा ज्ञान गौचरणों से ही प्राप्त हुआ है। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप नन्दनी गाय की पूजा करते थे। भगवान शंकर का वाहन नन्दी, गाय वंशज ही थे। तीर्थकंर भगवान रामदेव का चिन्ह बैल है। 9,500 वर्ष पूर्व गुरू वशिष्ठ ने गाय के कूल का विस्तार किया था। स्कन्द पुराण के अनुसार गौ सर्वदेवमयी और वेद में गाय सर्वगौमय है। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवदगीता में कहा है "धेनुनामस्मि कामधेन" अर्थात गायों में मै कामधेनू हूं। ईसा मसीह ने कहा कि एक गाय या बैल को मारना मनुष्य के मारने समान है। गुरू गोविन्द सिंह ने कहा "यही देहु आज्ञा तुरूक को खपांउ, गौमाता का दुख सदा मै मिटाऊं। " बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि चाहे मुझे मार डालों पर गाय पर हाथ न उठाओ। कवि रखसान ने कहा कि यदि मेरा दुबारा जन्म हो तो मैं बाबा नन्द के गायों के बीच में जन्म लूं। पं0 मदन मोहन मालवीय ने सम्पूर्ण गोवध हत्या की निषेध की वकालत की थी। महार्षि अरविन्द ने भी गाय वध को पाप माना। भगवान बुद्व गायों को मनुष्य का मित्र बताते है। जैनों ने गाय को स्वर्ग कहा है। गांधीजी ने गोवंश की रक्षा को भगवान से जोडकर कहा। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ही गाय को हमारे देश में बहुत महत्व दिया गया है और उसके संरक्षण और सर्वधन की बात कही गयी है। गाय के महत्व को केवल हिन्दुओं ने समझा हो ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए अपने शासनकाल में मुसलमान

शासको द्वारा गायों के वध पर रोक लगाया था। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्याहारों में गायों की बलि पर रोक लगायी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोहत्या को एक दण्डनीय अपराध बना दिया था। 1953 में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित गोसंवर्धन समिति के तीन सदस्य मुस्लिम थे और गाय के वध को पूर्ण प्रतिबंध के समर्थित थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पाण्डेय को जब यह पता चला कि मुँह से पिन खींचने वाले गोले में गाय की चर्बी है तो उन्होंने इसका विरोध किया और सम्पूर्ण अंग्रेजी सेना में हिन्दू सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। परिणामतः मंगल पाण्डेय को फांसी हुई। इतिहास भरा पडा है कि जब जब भारतीय संस्कृति गाय पर अत्याचार हुआ इस देश का हर नागरिक उसके विरोध में खडा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू एवं अन्य भूखे जानवरों सहित गौहत्या पर रोक लगायेगा। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद 48 के लागू करने के बारे में गोवध हत्या के वध की बात पर ध्यान आकृषित करता है। भारत के 29 राज्यों मे से 24 राज्यों में गाय मांस की बिक्री व गोवध पर प्रतिबंध है।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के कई सदस्यों ने गोरक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल करने की बात कही थी। गाय पालन आर्थिक और नैतिक दोनों है उनके द्वारा दी जाने वाली उपज भोजन की कमी की स्थिति में अत्याधिक उपयोगी राजस्व बढाने में मूल्यवान सहायक होती है। अनुच्छेद 51 ए (जी) में यह राज्य की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के लिए करूणा रखने में सक्षम बनाता है। गाय हिन्दुओं की आस्था है और हिन्दू संस्कृति का प्रतीक है। सदियों से हिन्दू गाय की पूजा करते चले आ रहे है। यह बात गैर हिन्दू भी समझते है यही कारण है कि गैर हिन्दू नेताओं ने मुगलकाल में हिन्दू भावनाओं की कद्र करते हुए गोवध का पुरजोर से विरोध किया जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खांन, मियां हाजी अहमद खत्री, मियां छोटानी, मौलाना अब्दुल

बारी, मौलाना अब्दुल हुसैन और अहमद मदनी जैसे राष्टवादी मुसलमानों ने गोहत्या न करने की अपील की। 1919 में खिलाफत अन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था जिसमें उक्त सभी मुसलिम नेता शामिल थे। एक अन्य अन्दोलन ख्वाजा हसन निजामी द्वारा किया गया जिन्होंने एक किताब लिखी थी। "तार्क–ए–गाओ कुशी, जिसमें गोहत्या न करने की बात लिखी है, जिसमें सम्राट अकबर, हुमायूं और बाबर द्वारा अपनी सल्तनत में गोहत्या न करने की अपील की थी क्योंकि इससे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 'जमीयत–ए– उलेमाए हिन्द' के मौलाना महमूद मदनी ने भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय कानून की मांग की है। कहने का तात्पर्य है कि देश का बहुसंख्यक मुस्लिम नेतृत्व हमेशा गोहत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का पक्ष में रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गौहत्या पर रोक को संघ सूची में रखने के बजाए राज्य सूची में रख दिया है और यही कारण है कि आज भी भारत के कई राज्य ऐसे है जहां गौवध पर रोक नहीं है।

समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को हिन्दुओं के मौलिक अधिकार में रखा जाए क्योंकि हम जानते है कि जब देश की संस्कृति और उसकी आस्था पर चोट होती हैतो देश कमजोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी भी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जायेगा। उक्त बातों को ध्यान में रखकर ही बहुतायत राज्यों मे गोहत्या पर प्रतिबंध है उसमें उत्तर प्रदेश एक है और वर्तमान वाद भी उत्तर प्रदेश की परिधि में है जहां गोवध विधि विरूद्व है। वर्तमान वाद में गाय की चोरी करके उसका वध किया गया है जिसका सिर अलग पडा हुआ था और मांस भी रखा हुआ था। मौलिक अधिकार केवल गौमांस खाने वालों का विशेषाधिकार नहीं है जो लोग गाय की पूजा और आर्थिक रूप से गायों पर जीवित है उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। कुछ लोगों को जीभ का स्वाद लेने के लिए किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीना जा

सकता है और जीवन का अधिकार हत्या के अधिकार से ऊपर है और गोमांस खाने का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। देश के न्यायालय को नागरिकों की गारण्टीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करते हुए मौलिक अधिकारों और समाज के बडे और व्यापक हितों के बीच एक उचित सन्तुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्वान्तों को अप्रर्वतनीय और मौलिक अधिकारों के अधीन रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा गारण्टीकृत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 को ध्यान में रखकर जो पूर्ववर्तीय निर्णय दिए गये उनके अनुच्छेद 48 ए. और 51 ए. पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वे उस समय उपलब्ध नहीं थे और उसे 3–1–1977 के बयालिसवें संशोधन द्वारा संविधान में जोडा गया। पूर्ववतीय निर्णयों में यह कहा गया यदि गाय और उसका वंशज 15 वर्ष से अधिक आयु या बीमार हो जाता है तो उसको वध किया जा सकता है किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि गाय बूढी एवं बीमार होने पर भी उपयोगी होती है और गोबर व मूत्र कृषि योग्य बहुत उपयोगी होता है जिससे खाद्य के साथ औषधि का भी निर्माण होता है और सबसे बडी बात जिसे मां के रूप में पूजा जाता है उसके बूढी होने या बीमार होने से उसकी हत्या का हक किसी को नहीं दिया जा सकता है। बाम्बें पशु संरक्षण अधिनियम 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत गाय का वध पूर्ण निषेध है। अनुच्छेद 48 के अनुसार गायों और बछडों और अन्य दुधारू जानवरों पर रोक लगाने के लिए 18 वर्ष से कम की गाय के वध के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि गाय बूढी होने के बाद भी बायो गैस के लिए गोबर देना जारी रखती है और मरते दम तक गाय को बेकार नहीं कहा जा सकता। इस तरह गाय भारतीय कृषि की रीढ है और देश की 75 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, एक अच्छा आर्थिक स्रोत है। पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य प्रति आशुतोष लहरी 1955 एस0 सी0 सी0 189 में मुसलमानों के लिए बकरीद पर गाय वध शामिल नहीं है। मौलिक

अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में श्रीमती चंपकम दौरे राजन 1951 ए0 सी0 सी0 आर0 525 में माना गया कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्वान्तों को मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और सहायक के रूप में चलाना होगा और यह माना कि नीति निर्देश सिद्वान्त मौलिक है और लागू करना राज्य का कर्तव्य है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू जो तामिलनाडू का पारस्परिक खेल है जिसमें बैलों के साथ अत्याचार किया जाता है, पर प्रतिबंध लगाया गया और माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (जी) पशु अधिकारों का मैग्ना कार्टा है, और अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों के जीवन की रक्षा की बात कही और कहा प्रत्येक प्रजाति को जीवन और सुरक्षा का अधिकार है जो कानूनों के अधीन है जिसमें उसके जीवन के मानवीय आवश्यकता से वंचित करना शामिल है। "जीवन" शब्द को विस्तारिक परिभाषा दी गयी जिसमें पशु जीवन सहित जीवन सभी रूप शामिल है जो मानव के लिए आवश्यक है। जीवन, भारतीय संविधान के अन्तर्गत आता है। हलांकि यह राज्य का कतर्व्य है (राज्य नीति निर्देशक तत्व) कि वह पशु कल्याण के लिए कानून बनाये।

भारत संविधान अनुच्छेद 48– में राज्य के लिए कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करेगा और विशेष रूप से गाय और बछडों और अन्य दुधारू और भारोतोलक मवेशियों की नश्लों का संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठायेगा।

अब्दुल कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1961) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में गोहत्या पर प्रतिबंध कानूनों को संवैधानिककता के सम्बंध में कहा कि हिदायत या कुरान जैसी इस्लामिक ग्रंथों में से किसी ने भी गौहत्या को अनिवार्य नहीं माना और इसके बजाए ऊंट, बकरी की बलि देने की अनुमति दी। यही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 की भी व्याख्या है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 5क में उपलब्ध उपधारा 5 के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोडी गयी है जो इस प्रकार है।

(5ख) जो कोई किसी गाय उसके गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जो उसके जीवन को संकटपन्न करे या गोवंश का अंग भंग करना, जीवन के संकटपन्न करने वाली किसी परिस्थिति में उसका परिवहन करना, उसके जीवन को संकटपन्न करने के आशय से भोजन पानी आदि का लोप करना, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास जो न्यूनतम एक वर्ष होगी और जो सात वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना हो न्यूनतम एक लाख रूपये होगा, जो तीन लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा। धारा 8 (1) में कहा गया है कि धारा 3, 5 या धारा 5क के उपबंधो के उल्लघंन करने पर न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं पांच लाख रूपये के जुर्माना का प्राविधान है।

गाय की महत्वा को ध्यान में रखते हुए गोहत्या करने वाले व्यक्ति के लिए इस अधिनियम में उसकी जमानत के लिए कठोर नियम की बात कही गयी है। अधिनियम की धारा 7क में कहा गया है कि दं0 प्र0 सं0 1973 के अर्न्तवृष्टि किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम या तद्वधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निमुर्क्ति नहीं किया जायेगा जब तक कि –

(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निमुर्क्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता और–

(ख) जहाँ विशेष लोक अभियोजक, आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि वह विश्वास करने का युक्ति युक्ति आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।

अधिनियम की धारा 8 (3) की कठोरता आरोपी व्यक्ति के लिए यहां तक कहती हैः–

8 (3) धारा 5क उपबंध के उल्लघंन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम तथा फोटोग्राफ मुहल्ला में ऐसे किसी महत्वपूर्ण स्थान जहां अभियुक्त समान्यतः निवास करता हो अथवा ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर

जहां वह विधि प्रर्वतन अधिकारियों से स्वयं को छिपाता हो प्रकाशित किया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 5ख एवं धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय माना गया है।

भारतीय संविधान भी इसकी संरक्षण की बात करता है। समय समय देश की विभिन्न न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी गाय की महत्वा समझते हुए इसके संरक्षण सवर्धन एवं देश के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम निर्णय दिए हैं और संसद एवं विधान सभा ने भी समय के साथ नये नियम गायों की रक्षा हित में बनाये हैं जिसमें उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है।

किन्तु कभी कभी यह देखकर बहुत कष्ट होता है कि गाय संरक्षण और सर्वधन की बात करने वाले ही गाय के भक्षक बन जाते है। सरकार भी गोशाला का निर्माण तो कराती है किन्तु उसमें गाय की देखभाल करने वाले लोग ही गाय का ध्यान नही रखते है। इसी प्रकार प्राईवेट गौशाला भी आज केवल एक दिखावा बनकर रह गयी है जिसमें लोग गाय संर्वधन के नाम से जनता से चंदा और सरकार से सहायता तो लेते है किन्तु उसको गाय के संर्वधन और उसकी देखभाल में न लगाकर स्वार्थहित में खर्च करते हैं । ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां गाय, गौशाला में भूख और बीमारी के कारण मर जाती है या तो मरणासन में है। गंदगी के बीच उनको रखा जाता है। खाने के अभाव में गाय पालीथीन खाती है और नतीजतन बीमार होकर मर जाती है। सडक, गलियों में गाय जिन्होंने दूध देना बंदकर दिया उनकी बुरी हालत देखने को मिलती है। बीमार और अंगभंग गाय अक्सर लावारिस देखने में नजर आती है। ऐसी स्थिति में यह बात सामने आती है कि गाय के संरक्षण संर्वधन करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। कभी कभार एक दो गाय के साथ फोटों खिंचाकर वे समझते है कि उनका काम पूरा हो गया है किन्तु ऐसा नहीं है। सच्चें मन से गाय की सुरक्षा और उसकी देखभाल करनी होगी तथा सरकार को भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

देश तभी सुरक्षित रहेगा। जब गाय का कल्याण होगा देश तभी इस देश का कल्याण होगा। विशेषकर उन लोगों से गाय का संरक्षण संर्वधन की आशा छोडनी होगी जो दिखावा मात्र से गाय की सुरक्षा की बात करते हैं। साथ ही सरकार को भी संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन लोगों के विरूद्व कडे कानून बनाने होगें जो गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करते है साथ उनको भी शामिल करके दण्डित करने का कानून आना चाहिए जो छद्रम वेशी होकर गाय सुरक्षा की बात गौशाला आदि बनाकर करते तो है किन्तु उनका गाय सुरक्षा से कोई सारोकार नही होता है, उनका तो एक मात्र उद्वेश्य है कि सी प्रकार गाय सुरक्षा के नाम पर पैसा कमाया जाए। गाय संरक्षण एवं संर्वधन का कार्य केवल एक मत धर्म सम्प्रदाय का नही है बल्कि गाय भारत देश की संस्कृति है एवं संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का चाहे वह किसी भी धर्म या उपासना करने वाला हो, ऐसा न होने पर, सैकडों उदाहरण हमारे देश में है कि हम जब जब अपनी संस्कूति भूले तब तब विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर गुलाम बनाया और आज भी हम न चेते तो आफगानिस्तान पर निरंकुश तालिबान का आक्रमण और कब्जे को भी हमे भूलना नहीं चाहिए।

उपरोक्त सभी स्थिति एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत ही एक मात्र सम्पूर्ण दुनिया में एक देश है जहां पर विभिन्न धर्म सम्प्रदाय के लोग रहते है जो पूजा भले ही अलग अलग करते है परन्तु उनकी सोच देश के लिए एक समान है और एक दूसरे धर्मों का आदर करते है। रीति रिवाजों एवं खान पान का आदर करते हैं। ऐसी दशा में जब भारत को जोडने और उसकी आस्था को समर्थन करने के लिए हर एक आगे बढ चढकर हिस्सा लेते हैं तब कुछ लोग जिनका आस्था और विश्वास देशहित पर कतई नहीं है, वे ही लोग देश में इस प्रकार की बात करके देश को कमजोर करते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व प्रथम द्वष्टया अपराध किया जाना बखूबील साबित होता है। आवेदक/अभियुक्त गोवध का अपराध कारित किया है। यह आवेदक का पहला अपराध नहीं है इसके पूर्व भी उसने गोवध किया है जिससे समाज का सौहार्द्व बिगरा है और यदि जमानत पर छोड दिया जाता है तो वह पुनः यही कार्य करेगा जिससे समाज का वातावरण बिगडेगा और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी।

उपरोक्त आवेदकगण का यह जमानत आवेदन पत्र बलहीन है एवं निरस्त होने योग्य है। तदनुसार उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं।

दि0– 1–9–2021/अ

Justice Shekhar Kumar Yadav
Digitally signed by Justice Shekhar Kumar Yadav
Date: 2021.09.01 14:48:56 +05'30'